संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
मध्यप्रदेश

क्रमांक/1 जी/विज्ञप्त/सेल–5/2013/1775 दिनांक 22.11.2013.

प्रति,

1. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, मध्य प्रदेश ।
2. समस्त सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, मध्य प्रदेश।

विषयः– प्रमुख खण्ड चिकित्सा अधिकारी के अधिकार एवं दायित्वों के संबंध में ।

संदर्भः– मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग का पत्र क्रमांक एफ 13–2/2005/17/मेडि–3/1004, दिनांक 24.04.2006.

==0==

विभाग के संदर्भित आदेश द्वारा प्रमुख खण्ड चिकित्सा अधिकारी के 313 पदों का सृजन किया जाकर इन्हें वित्तीय एवं प्रशासकीय अधिकार दिये गए हैं । विभाग द्वारा इन पदों की पूर्ति की कार्यवाही चिकित्सा अधिकारियों की पदोन्नति द्वारा करना प्रारंभ कर दिया गया है । अतः आवश्यक है कि पदस्थ प्रमुख खण्ड चिकित्सा अधिकारी अपने अधिकारों एवं दायित्वों का निर्वहन करना प्रारंभ करें ताकि विकासखण्ड स्तर पर प्रभावी नियंत्रण की व्यवस्था स्थापित हो सके । सुलभ संदर्भ के लिए प्रमुख खण्ड चिकित्सा अधिकारी के अधिकार एवं दायित्व निम्नानुसार हैं :–

1. प्रमुख खण्ड चिकित्सा अधिकारी अपने कार्यालय में कार्यालय प्रमुख होंगे । समस्त द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के नियंत्रणकर्ता अधिकारी होंगे।

2. तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के अंतर्गत अनुशासित प्राधिकारी के रूप में लघु शास्ति अधिरोपित करने हेतु सक्षम होंगे ।

3. तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के 120 दिन के अर्जित अवकाश व 90 दिन के लघुकृत अवकाश स्वीकृत कर सकेंगे ।

4. विकासखण्ड में पदस्थ तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन तथा चिकित्सा अधिकारियों के गोपनीय चरित्रावली हेतु प्रतिवेदक अधिकारी होंगे ।

निरंतर............

5. प्रमुख खण्ड चिकित्सा अधिकारी प्रशासकीय कार्य के साथ चिकित्सीय कार्य भी कर सकेंगे ।

अतः कृपया आपके अधीन पदस्थ प्रमुख खण्ड चिकित्सा अधिकारियों से उपरोक्तानुसार दायित्वों का निर्वहन कराया जाना सुनिश्चित करें ताकि विकासखण्ड स्तर पर प्रभावी नियंत्रण की व्यवस्था स्थापित हो सके ।

22/11/13
(पंकज अग्रवाल)
आयुक्त स्वास्थ्य सेवायें,
मध्यप्रदेश

पृ0क्रमांक / 1 जी / विज्ञप्त / सेल–5 / 2013 / दिनांक .11.2013.

प्रतिलिपि :–

1. निज सहायक, माननीय मंत्रीजी / राज्य मंत्रीजी, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय भोपाल,म0प्र0 ।
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल,म0प्र0 ।
3. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल,म0प्र0 ।
4. मिशन संचालक, एन.आर.एच.एम. / आर.सी.एच.तृतीय तल, बैंक ऑफ इण्डियाभवन, जेल रोड, भोपाल, मध्यप्रदेश ।
5. समस्त संचालक स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश ।
6. समस्त अपर संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश ।
7. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश ।
8. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश ।
9. समस्त प्रमुख खण्ड चिकित्सा अधिकारी, मध्यप्रदेश की ओर पालनार्थ प्रेषित ।

आयुक्त स्वास्थ्य सेवायें,
मध्यप्रदेश